भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 184
उत्तर देने की तारीख-21/07/2025

सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी

184 श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के नागपुर जिले में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कई पद रिक्त हैं;
(ख) यदि हां, तो उक्त रिक्तियों की श्रेणी-वार और विषय-वार संख्या कितनी-कितनी है;
(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि नागपुर जिले में कई सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं और शिक्षकों की कमी के कारण शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है और यदि हां, तो क्या सरकार ने नागपुर जिले में विद्यालयों के पुनर्विकास और उनमें रिक्त पदों को भरने के लिए कोई विशेष योजना तैयार की है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय होने के कारण, देश के अधिकांश स्कूल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। शिक्षकों की भर्ती और तर्कसंगत तैनाती संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकार क्षेत्र में आती है। यूडाइज+23-24 रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की कुल संख्या क्रमशः 13,674 और 8,767 है। शिक्षकों के रिक्त पदों का आँकड़ा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा रखा जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए पवित्र पोर्टल डिज़ाइन किया है।

केंद्र सरकार, समय-समय पर संशोधित नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार, स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए उपयुक्त छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) बनाए रखने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

यूडाईज़+ 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के नागपुर जिले में 400 सरकारी स्कूल और 9 सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हैं।

महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा योजना के मानदंडों के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2024-25 तक राज्य के 227 भवनहीन और जीर्ण-शीर्ण विद्यालयों के उन्नयन को संस्वीकृति दी है। तथापि, समग्र शिक्षा के अंतर्गत विद्यालयों के उन्नयन हेतु वित्तीय सहायता अलग-अलग जिलों के स्थान पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एकमुश्त प्रदान की जाती है।

***